15

लोकतंत्र में जनसहभागिता

YQKCDR

पिछले अध्याय में हमने भारत की राजनैतिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली को समझा। भारत में संसदीय लोकतंत्र प्रणाली को अपनाया गया है। लोकतांत्रिक राजनैतिक व्यवस्था में जनता की भागीदारी दूसरी राजनैतिक व्यवस्थाओं से अधिक होती है लेकिन लोकतांत्रिक देशों में भी जनता की भागीदारी के तरीके और प्रक्रिया अलग–अलग होती है।

इस अध्याय में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि लोकतंत्र में लोग सहभागिता किस प्रकार करते हैं? जनसहभागिता के माध्यम के रूप में मतदान, दबाव समूह और मीडिया की भूमिका का अध्ययन करेंगे। इसके साथ ही हम भारत की राजनैतिक संस्थाओं में विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधित्व का अध्ययन करेंगे। हम स्वतंत्र भारत में मतदान व्यवहार को समझने का भी प्रयास करेंगे।

15.1. मतदान :– क्या और क्यों?

आजकल अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में प्रतिनिधि लोकतंत्र है जिसमें मतदान के द्वारा लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। जिस राजनैतिक दल के पास प्रतिनिधियों का बहुमत होता है, वह सरकार बनाता है। आमतौर पर सभी लोकतांत्रिक देशों में एक निश्चित आयु सीमा पूरी करने वाले लोगों को वोट डालने (मतदान) का अधिकार दिया जाता है। यह माना जाता है कि जितने अधिक लोग किसी भी लोकतांत्रिक चुनाव में मत देंगे उस चुनाव के बाद बनने वाली सरकार उतनी ही अधिक लोकतांत्रिक होगी। अधिक लोगों का सरकार बनने की प्रक्रिया में शामिल होना लोकतंत्र का एक मानदण्ड है। भारतीय संविधान में पहले कोई भी नागरिक जिसकी आयु 21 वर्ष या इससे ऊपर थी वह अपने क्षेत्र में होने वाले स्थानीय निकायों, राज्य विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में मत दे सकता था। 1989 में 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसे कम करके 18 वर्ष कर दिया गया ताकि देश का युवा वर्ग चुनाव में भागीदारी कर पाये लेकिन क्या सभी योग्य मतदाता मतदान में भाग लेते हैं?

चित्र 15.1 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। यह कैसे काम करती है पता करें।

मतदान प्रक्रिया

आपने अध्याय 12, ''संविधान, शाासन व्यवस्था और सामाजिक सरोकार'' में निर्वाचन आयोग के विषय में अध्ययन किया है और अब हम निर्वाचन संबंधी कुछ बातों का अध्ययन करते हैं।

निर्वाचन आयोग राज्य सरकार के परामर्श से राज्य एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को मनोनीत करता है। प्रत्येक राज्य में एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी तथा जिला स्तर पर जिला निर्वाचन अधिकारी होता है। सभी अधिकारी निर्वाचन आयोग के नियमों के अधीन होते हैं।

मतदाता सूची :– ससंद, विधानसभा, तथा स्थानीय निर्वाचन के लिए प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की एक साधारण निर्वाचक नामावली होगी। किसी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग के आधार पर मतदाता सूची में सम्मिलित होने से वंचित नहीं किया जा सकता। भारत का प्रत्येक नागरिक जिनकी आयु 18 वर्ष की है मतदाता सूची में पंजीकृत होने का हकदार है। चित्त विकृति, अपराधी, भ्रष्ट तथा अवैध आचरण के आधार पर मतदाता को अयोग्य घोषित किया जा सकता है।

निर्वाचन प्रक्रिया :– निवार्चन प्रक्रिया का प्रारंभ राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा जारी अधिसूचना से होता है। निर्वाचन आयोग निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा करता है। उम्मीदवारों को नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए लगगभ 8 दिन का समय दिया जाता है। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि के बाद निर्वाचन अधिकारी नामांकन पत्रों की जांच करता है। नामांकन में गड़बड़ी पाए जाने पर नामांकन अस्वीकार किया जा सकता है। उम्मीदवार को नाम वापसी के लिए 2 दिन का समय दिया जाता है। निर्वाचन अधिकारी उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी करता है तथा गैर मान्यता प्राप्त दलों व निर्दलीय उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह आवंटित करता है। नाम वापसी की अंतिम तिथि से चुनाव प्रचार के लिए कम से कम 14 दिन का समय दिया जाता है। निर्वाचन आयोग चुनाव प्रचार के दौरान आचार संहिता सुनिश्चित (तय) करता है।

चुनाव प्रचार मतदान की तिथि से 48 घंटे पहले बंद कर दिया जाता है। मतदान के बाद मतपेटियों या इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन को सुरक्षित स्थान पर रखा जाता है। पहले से निर्धारित तिथि पर मतगणना की जाती है तथा सर्वाधिक मत पाने वाले उम्मीदवार को विजयी घोषित किया जाता है।

नोटा बटन :– निर्वाचन में पारदर्शिता लाने हेतु इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन का उपयोग करते हैं जिसे चित्र 15.1 में दिखाया गया है। इसमें मतदाताओं के नाम चुनाव चिन्ह के साथ अब एक और बटन जोड़ा गया है जिसे नोटा बटन कहते हैं। इसका उपयोग हम किसी भी उम्मीदवार को पसंद नहीं करते, तब कर सकते हैं। इसे 2013 में प्रारंभ किया गया है। यह बटन इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन में सबसे नीचे दिया जाता है।

गुप्त मतदान :– हम किस उम्मीदवार को मत दे रहे हैं यह किसी को भी पता नहीं चलता है चाहे इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन से मतदान हो या बैलेट पेपर द्वारा किया गया हो। उसे गुप्त मतदान कहते हैं।

अप्रत्यक्ष मतदान :– अप्रत्यक्ष मतदान के विषय में आपने राजनीति के अध्यायों में पढ़ा है।

राइट टू रिकाल :– यह स्थानीय निकायों पर लागू होता है जिसके तहत पचांयत या नगरपालिका के 50 प्रतिशत प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर और ग्रामवासियों के 2/3 बहुमत से किसी प्रतिनिधि – पंच, सरपंच, पार्षद आदि को पद से हटाया जा सकता है। यह नियम छत्तीसगढ़ में भी लागू है।

15.2 भारत में मतदान व्यवहार

राजनैतिक दल किसी विचारधारा पर आधारित औपचारिक संगठन होते हैं। देश के लिए इनके निश्चित नीति और कार्यक्रम होते हैं। भारत में महत्वपूर्ण राजनैतिक दलों का पंजीकरण चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है।

15.2.1 कितने लोग वोट देते हैं?

आइए, अब हम 1952 से 2004 तक हुए लोकसभा चुनाव के आधार पर भारत में मतदान व्यवहार को समझने का प्रयास करते हैं। इसके लिए नीचे दी गई तालिका एक के आधार पर पता कीजिए कि भारतीय मतदाताओं ने चुनावों में कितनी सक्रियता दिखाई है। कौन से वर्ग मतदान में अधिक सक्रिय रहा है।

तालिका–15.1 लोकसभा चुनाव – 1952 से 2004 तक मतदान में जन सहभागिता

वर्ष	पुरुष	महिला	मतदान प्रतिशत	मताधिकार का प्रयोग करोड़ में	कुल पंजीकृत मतदाता करोड़ में
1952	–	–	61.2	10.60 करोड़	17.93 करोड़
1957	–	–	62.2	12.06 करोड़	19.71 करोड़
1962	63.31	46.63	55.42	11.99 करोड़	22.03 करोड़
1967	66.73	55.48	61.33	15.27 करोड़	24.20 करोड़
1971	60.90	49.11	55.29	15.13 करोड़	26.44 करोड़
1977	65.63	54.91	60.49	19.43 करोड़	30.04 करोड़
1980	62.16	51.22	56.92	20.28 करोड़	32.52 करोड़
1984	68.18	58.60	63.56	24.12 करोड़	37.38 करोड़
1989	66.13	57.32	61.95	30.91 करोड़	47.41 करोड़
1991	61.58	51.35	56.93	28.27 करोड़	49.37 करोड़
1996	62.06	53.41	57.94	34.33 करोड़	56.20 करोड़
1998	65.72	57.88	58.97	37.54 करोड़	55.67 करोड़
1999	63.97	55.64	59.99	37.17 करोड़	56.59 करोड़
2004	61.66	53.30	57.65	38.99 करोड़	64.02 करोड़

स्रोत eci.nic.in

1952 के चुनाव में कुल मतदाताओं में से ..... करोड़ मतदाताओं ने वोट दिया जबकि 2004 में ..... करोड़ मतदाताओं ने वोट दिया।

किस चुनाव में सबसे अधिक और किस चुनाव में सबसे कम प्रतिशत मतदाताओं ने वोट डाले?

1989 में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या अचानक क्यों बढ़ गई होगी?

तालिका –1 में महिला और पुरूष मतदान के बीच तुलना करें और बताएँ कि इस अन्तर के क्या–क्या कारण हो सकते हैं?

मतदान प्रतिशत में उतार–चढ़ाव की स्थिति के क्या कारण हो सकते हैं? पिछले अध्याय के आधार पर विश्लेषण करें।

उपर्युक्त तालिका में हम देख सकते हैं कि 1952 में मतदान प्रतिशत 61.2 प्रतिशत था जो कि 1984 में अधिकतम 63.56 प्रतिशत तथा 1971 में न्यूनतम 55.29 प्रतिशत रहा है। इस प्रकार औसत मतदान प्रतिशत 59.49 रहा है। इससे यह स्पष्ट होता है कि भारत में मतदान के प्रतिशत में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं आया है। पुरुषों का औसत मतदान लगभग 64 प्रतिशत और महिलाओं का 54.57 प्रतिशत रहा है। संविधान द्वारा समान मताधिकार मिलने के बावजूद पुरुषों से महिलाओं का औसत मतदान प्रतिशत लगभग 10 प्रतिशत कम रहा है। यह इस ओर इशारा करता है कि महिलाओं की सहभागिता पुरुषों की तुलना में कम रही है। कुल मिलाकर हम देखते हैं कि हमारे देश में औसतन 60 प्रतिशत लोग मतदान करते हैं। पुरुषों की तुलना में महिलाएँ मतदान में कम भागीदारी करती हैं। चुनाव आयोग और अन्य सरकारी व गैर सरकारी संस्थाएँ निरंतर प्रयास करती रही हैं कि अधिक मतदाता वोट डालें लेकिन फिर भी बड़ी संख्या में लोग अभी भी वोट डालने नहीं जाते हैं। अर्थात् पंजीकृत मतदाताओं की संख्या तथा वास्तव में मतदान करने वाले लोगों की संख्या में काफी अन्तर है। साथ में हम यह भी पाते हैं कि हर चुनाव में एक जैसी भागीदारी नहीं है और अलग–अलग चुनावों में कम या ज्यादा प्रतिशत लोग भाग लेते हैं।

चित्र 15.2 : महिलाएँ वोट डालने के बाद – इनके हाथों में मतदाता पहचान पत्र और उँगलियों पर लगे निशान पर ध्यान दें।

दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि मतदाताओं की संख्या लगातार बढ़ती रही है। 1952 में वोट डालने वाले लोगों की संख्या 10.60 करोड़ थी, यह 2004 में बढ़कर 38.99 करोड़ हो गई जो लगभग चार गुना अधिक है। इससे स्पष्ट होता है कि वोट डालने वालों की संख्या बढ़ी है।

15.2.2 कौन–कौन सी बातें मतदाताओं पर प्रभाव डालती हैं?

मतदाता, मताधिकार का प्रयोग करते समय अनेक कारणों से प्रभावित होते हैं। मतदाताओं के सामने एक ओर देश के व्यापक हित और नीतिगत बातों पर राय आदि तत्व महत्व रखते हैं लेकिन साथ–साथ अक्सर संकुचित हित जैसे जाति, धर्म, क्षेत्रीयता, भाषावाद, स्थानीय ताकतवर लोगों का प्रभाव भी मतदाताओं के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। अक्सर यह भी देखा जाता है कि कई उम्मीदवार नीतिगत बातों की जगह पैसे, शराब और अन्य तोहफों के माध्यम से मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। राजनैतिक विश्लेषण करने वाले यह भी बताते हैं कि जहाँ मतदाताओं को लगे कि देश के कुछ व्यापक हित खतरे में

YQU8FE

है या फिर नीतियों में कुछ मूलभूत परिवर्तन की आवश्यकता है तब इन संकुचित हितों को भुलाकर लोगों ने मतदान किया है। उदाहरण के लिए 1977 के चुनाव में जब लोकतंत्र के समक्ष आपातकाल एक खतरा बना तब भारी मतदान करते हुए मतदाताओं ने आपातकाल का विरोध किया। इसी तरह 1984 में जब इंदिरा गाँधी की हत्या हुई एक बार फिर भारी मतदान हुआ और लोगों ने काँग्रेस को अभूतपूर्व बहुमत दिया। आमतौर पर यह देखा गया है कि मतदाता निवर्तमान सरकार का कामकाज, उम्मीदवारों का निजी गुण और सम्पर्क तथा दलों की घोषणाओं में दर्ज लोकहितकारी वायदे आदि के प्रति संवेदनशील होते हैं। वर्तमान में टीवी, सामाजिक मीडिया और पत्रिकाओं के माध्यम से किये गए प्रचार से भी मतदाता काफी प्रभावित हो रहे हैं।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत में मतदान व्यवहार को अनेक तत्व प्रभावित करते हैं लेकिन अलग–अलग समय तथा क्षेत्रों में ये तत्व भिन्न हो सकते हैं। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की मज़बूती के लिए यह आवश्यक है कि मतदाता चुनाव में भाग लें। मतदान करने से पहले वे सभी परिस्थितियों का आकलन करें और उसके आधार पर मतदान का निर्णय लें।

ऊपर बताए गए मतदान को प्रभावित करने वाले तत्वों में से कौन–से तत्व आपके क्षेत्र में मतदान को प्रभावित करते हैं। शिक्षक के साथ चर्चा कीजिए।

जातिवाद, मतदान को कैसे प्रभावित करता है? शिक्षक की सहायता से चर्चा कीजिए।

निम्नलिखित तालिका को चर्चा के बाद पूरा करें।

स्थानीय निकाय के चुनावों को प्रभावित करने वाले तत्व।	विधानसभा के चुनावों को प्रभावित करने वाले तत्व।	लोकसभा के चुनावों को प्रभावित करने वाले तत्व।

15.3 भारत में विभिन्न राजनैतिक संस्थाओं में प्रतिनिधित्व

राजनैतिक संस्थाओं में प्रतिनिधित्व भी जनसहभागिता का एक महत्वपूर्ण आधार है। इन संस्थाओं में प्रतिनिधित्व के आधार पर समझा जा सकता है कि समाज के विभिन्न वर्गों की इन संस्थाओं में प्रतिनिधित्व के संदर्भ में कितनी सहभागिता है। इससे यह भी पता चलता है कि क्या सभी वर्ग इन संस्थाओं में यथार्थ ढंग से प्रतिनिधित्व हासिल कर पा रहे हैं या नहीं।

भारतीय संविधान में शासन के तीन स्तरों की व्यवस्था की गई है। केन्द्रीय स्तर पर लोकसभा के लिए प्रत्यक्ष मतदान द्वारा प्रतिनिधियों का चुनाव होता है। राज्य स्तर पर विधानसभा है और स्थानीय शासन के लिए

भी जनता द्वारा अपने प्रतिनिधि चुने जाते हैं। आइए, अब हम लोकसभा और स्थानीय निकायों में विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधित्व को समझने की कोशिश करते हैं।

15.3.1 लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व– लोकसभा में महिलाओं के प्रतिनिधित्व का विश्लेषण करने के लिए नीचे दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए।

तालिका 15.2 लोकसभा में महिला सांसदों की भागीदारी

वर्ष	महिला उम्मीदवारों की संख्या	कुल उम्मीदवारों में महिला उम्मीदवारों का प्रतिशत	महिला सांसदों की संख्या	महिला सांसदों का प्रतिशत
1951	–	–	–	–
1957	45	3.00	22	4.5
1962	66	3.30	31	6.30
1967	68	2.9	29	5.6
1971	61	2.2	21	5.6
1977	70	2.9	19	3.5
1980	143	3.1	28	5.3
1984	171	3.1	42	7.9
1989	198	3.2	29	5.5
1991	330	3.8	37	7.3
1996	599	4.3	40	7.4
1998	274	5.8	43	7.9
1999	284	6.1	49	9.0
2004	355	6.5	45	8.3
2009	556	6.9	59	10.9
2014	668	8.0	66	11.4

स्रोत – eci.nic.in

एक आदर्श संसद में कितने प्रतिशत महिला सदस्य होने चाहिए?

उस आदर्श के अनुरूप लोकसभा में कितनी महिला सदस्य होने चाहिए?

वर्तमान में लोकसभा में कितनी महिला सांसद हैं?

1957 से लगातार महिला सदस्यों की संख्या और उनका प्रतिशत बढ़ता जा रहा है? पता कीजिए।

किस चुनाव में सबसे कम प्रतिशत महिलाएँ जीत पाईं? उसका क्या कारण रहा होगा?

कुल उम्मीदवारों में महिला उम्मीदवार कितनी हैं? यह भी महिलाओं की राजनैतिक भागीदारी का एक सूचक है। अगर किसी चुनाव क्षेत्र में कुल दस उम्मीदवार हैं और वे सबके सब पुरूष हैं तो हम कहेंगे कि महिलाएँ

वहाँ सक्रिय नहीं हैं। अगर आधे से अधिक उम्मीदवार महिलाएँ हैं तो यह कहा जा सकता है कि उस क्षेत्र में महिलाओं की अच्छी भागीदारी है। वर्तमान में लगभग 8 प्रतिशत महिला उम्मीदवार हैं यानी कि 92 पुरुष जहाँ चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं वहीं केवल 8 महिलाएँ तैयार हैं। यह भी हर चुनाव में कम ज़्यादा होते रहता है।

आपके विचार में विभिन्न राजनैतिक दलों द्वारा महिला उम्मीदवारों को अधिक संख्या में खड़ा क्यों नहीं किया जाता?

इन सब बातों को देखते हुए क्या आपको लगता है कि लोकसभा में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण उचित होगा?

यदि महिला सांसदों की संख्या 50 प्रतिशत हो जाए तो समाज और राजनीति पर इसका क्या असर पड़ेगा?

साथ में दिए गए आरेख पढ़कर बताएँ कि किस देश की संसद में सबसे अधिक और सबसे कम महिलाएँ हैं?

दक्षिण एशिया के देशों (भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान) में से किस देश की संसद में सबसे अधिक महिलाओं की उपस्थिति है?

चित्र 15.3 महिलाओं को विधायिकाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण की माँग को लेकर एक रैली

आरेख 15.1 : विभिन्न देशों में महिला सांसदों का प्रतिशत

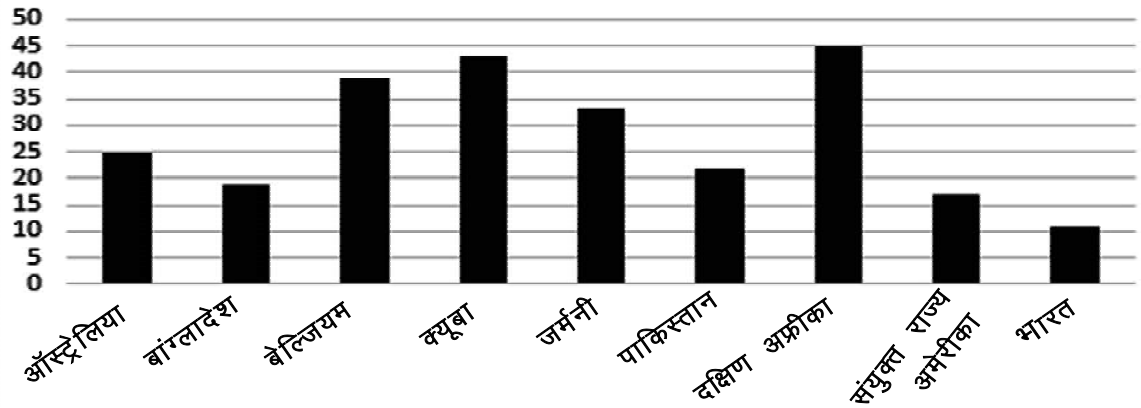

15.3.2 स्थानीय निकायों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व

संविधान में 73 वें और 74 वें संशोधन द्वारा सरकार के तीसरे स्तर के रूप में स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इन निकायों में प्रारंभ से ही महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित कर दी गई हैं। इस प्रकार बड़ी संख्या में महिलाओं को प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ है। कई राज्यों में यह आरक्षण 50 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है।

15.3.3 लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों का प्रतिनिधित्व

हमारे संविधान में सामाजिक, शैक्षिक एवं आर्थिक दृष्टि से समाज के वंचित वर्गों को अनुसूचित जाति तथा जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है। लोकसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं में इन वर्गों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया गया है। 16 वीं लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 84 एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं। इसी प्रकार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में भी इन वर्गों को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया गया है। साथ ही स्थानीय शासन अर्थात् पंचायतों और शहरी निकायों में भी इन वर्गों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित किया गया है।

15.4 दबाव समूह

आइए, एक घटना के माध्यम से दबाव समूह की प्रकृति और आधुनिक लोकतंत्र में इनकी भूमिका को समझने का प्रयास करें।

1984 में कर्नाटक सरकार ने 'कर्नाटक पल्पवुड लिमिटेड' नाम से एक कम्पनी बनाई और उसे 30,000 हेक्टेयर ज़मीन 40 सालों के लिए दे दी। उस ज़मीन का इस्तेमाल किसान अपने पशुओं के लिए चरागाह के रुप में करते आ रहे थे। कम्पनी ने उस ज़मीन पर नीलगिरि के पेड़ लगाने शुरू किए। इन पेड़ों का इस्तेमाल कागज़ बनाने की लुग्दी तैयार करने के लिए किया जाना था लेकिन पहले से 1986 से किसान और राज्य के जाने माने लेखक और पर्यावरणविदों ने मिलकर सामुदायिक जमीन बचाने के लिए आंदोलन शुरू कर दिया। उन्होंने सरकार और मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया और उनके द्वारा कोई कार्यवाही न करने पर सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की। सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि पहले जैसी यथास्थिति बनी रहे लेकिन इसके बावजूद ज़मीन गाँववासियों को न मिलने पर 1987 में कुन्सूर नामक गाँव में सत्याग्रह शुरू किया गया जिसका नाम था 'किटिखो–हच्चिको' अर्थात् 'उखाड़ो और रोपो'। इसमें लोगों ने नीलगिरि पेड़ उखाड़कर उनकी जगह पर ऐसे पेड़ों के पौधे लगाए जो जनता के लिए फायदेमंद थे।

आंदोलनकारियों ने विभिन्न तरीकों से विधायकों को अपना पक्ष समझाया और विभिन्न दलों के 70 से अधिक विधायकों ने सरकार पर दबाव डाला कि इस कंपनी को बंद करे। इस आंदोलन के कारण सरकार को किसानों की माँग माननी पड़ी और 1991 में कम्पनी को बंद करना पड़ा।

ऊपर दी गई घटना में किसानों व बुद्धिजीवियों के आंदोलन ने एक दबाव समूह के रूप में कार्य किया। इस आंदोलन ने सरकार पर दबाव डालकर उसकी नीति को बदलने पर मजबूर कर दिया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दबाव समूह विशेष समूहों के हितों की रक्षा के लिए सरकार को प्रभावित करने का प्रयास करता है। अपने हितों की प्राप्ति के लिए ये समूह ज्ञापन और न्यायालय में याचिका जैसे संवैधानिक साधनों के साथ–साथ प्रचार, हड़ताल, प्रदर्शन आदि भी करते हैं।

आंदोलन एक प्रकार के दबाव समूह हैं। अन्य प्रकार के भी दबाव समूह होते हैं जो नियमित संगठन का रूप लेते हैं जैसे चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज़ जो कि व्यापारियों व उद्योगपतियों का संगठन है जो मुख्य रूप से इनके लिए अनुकूल नीतियाँ बनवाने, अलग–अलग उद्योगों के हितों व ज़रूरतों को सरकार के सामने रखने का काम करते हैं। इस तरह कई और संगठन होते हैं जो विशिष्ट व्यवसाय के लोगों के हितों के लिए काम करते हैं जैसे, डॉक्टर, वकील, आदि।

कुछ संगठन ऐसे भी हैं जो किसी वर्ग विशेष के हितों की बात न करके पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, अन्तर्राष्ट्रीय नीति आदि मामलों पर सरकार पर दबाव डालते हैं। वे इन मुद्दों पर पुस्तक आदि प्रकाशित करते हैं, उन पर अध्ययन करते हैं और सरकारी अफसर, मंत्री और जन प्रतिनिधियों से अपने विचारों के बारे में गहन

बातचीत करते हैं। अक्सर सरकारी नीतियों को बनाने के लिए जो समितियाँ बनती हैं उनमें ऐसे संगठनों के प्रतिनिधि सदस्य बनाए जाते हैं।

इन सबके अलावा विशिष्ट मुद्दों पर सरकारी नीतियों को बदलने के उद्देश्य से कोई समूह कुछ व्यावसायिक लाबियिस्टों का भी उपयोग करते हैं जो इसके लिए प्रभावी रणनीति बनाकर काम करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि लोकतंत्र में विभिन्न हित समूह अपने पक्ष में नीतियाँ बनवाने और क्रियान्वयन के लिए जन आंदोलन से लेकर व्यावसायिक लाबियिस्ट तक विभिन्न प्रकार के दबाव समूह बनाते हैं।

कर्नाटक के किसानों ने अपनी माँग को मनवाने के लिए क्या–क्या तरीके अपनाए?

आपके क्षेत्र में क्या आपने किसी दबाव समूह द्वारा सरकार के किसी कार्य का विरोध करते हुए देखा है? एक उदाहरण दीजिए।

दबाव समूह एवं राजनैतिक दल : जरा सोचिए, राजनैतिक दल भी लोगों का संगठन होता है। उसका संबंध भी सरकार को प्रभावित करने के लिए होता है। इस प्रकार राजनैतिक दल भी दबाव समूह होते हैं लेकिन क्या यह कहना ठीक होगा? वास्तव में ऐसा नहीं है। राजनैतिक दलों से दबाव समूह इस अर्थ में अलग होते हैं क्योंकि राजनैतिक दल का मुख्य उद्देश्य सत्ता की प्राप्ति या सरकार बनाना होता है। जबकि दबाव समूह का उद्देश्य सत्ता की प्राप्ति नहीं होता है बल्कि सरकार को प्रभावित करके अपने कार्य करवाना होता है। ऊपर की गई चर्चा के आधार पर हम देख सकते हैं कि दबाव समूहों की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं :–

1. दबाव समूह सत्ता प्राप्त करने की कोशिश नहीं करते हैं।
2. दबाव समूह का निर्माण तब होता है जब समान पेशे, हित, आकांक्षा और मत के लोग एक सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एकजुट हो जाते हैं ।
3. दबाव समूह अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए नीति निर्माताओं को प्रभावित करते हैं।
4. अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ये समूह प्रचार–प्रसार, प्रदर्शन, गोष्ठी, आंकड़े प्रकाशित करना, लाबीइंग, आदि करते हैं।

15.4.1 लोकतंत्र में दबाव समूह की भूमिका

ऐसा लग सकता है कि किसी एक ही तबके के हितों की पैरवी करने वाले दबाव–समूह लोकतंत्र के हित में नहीं हैं। लोकतंत्र में किसी एक तबके का नहीं बल्कि सबके हितों की रक्षा होनी चाहिए। यह भी लग सकता है कि ऐसे समूह सत्ता का इस्तेमाल तो करना चाहते हैं लेकिन ज़िम्मेदारी से बचना चाहते हैं। राजनैतिक दलों को चुनाव के समय जनता का सामना करना पड़ता है लेकिन ये समूह जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होते। कभी–कभी ऐसा भी हो सकता है कि दबाव–समूहों को बहुत कम लोगों का समर्थन प्राप्त हो लेकिन उनके पास धन ज़्यादा हो और इसके आधार पर अपने संकुचित एजेंडे पर वे सार्वजनिक बहस का रुख मोड़ने में सफल हो जाएँ।

इन आशंकाओं के बावजूद यह माना जाता है कि दबाव–समूहों और आंदोलनों के कारण लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हुई हैं। शासकों के ऊपर दबाव डालना लोकतंत्र में कोई अहितकर गतिविधि नहीं बशर्ते इसका अवसर सबको प्राप्त हो। सरकारें अक्सर थोड़े से धनी और ताकतवर लोगों के अनुचित दबाव में आ जाती हैं।

जन–साधारण के दबाव समूह तथा आंदोलन इस अनुचित दबाव के प्रतिकार में उपयोगी भूमिका निभाते हैं और आम नागरिक की ज़रूरतों तथा सरोकारों से सरकार को अवगत कराते हैं।

वर्ग–विशेषी हित–समूह भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब विभिन्न समूह सक्रिय हों तो कोई एक समूह समाज के ऊपर प्रभुत्व कायम नहीं रख सकता। यदि कोई एक समूह सरकार के ऊपर अपने हित में नीति बनाने के लिए दबाव डालता है तो दूसरा समूह इसके प्रतिकार में दबाव डालेगा कि नीतियाँ उस तरह से न बनाई जाएँ।

सरकार को भी ऐसे में पता चलता रहता है कि समाज के विभिन्न तबके के लोग क्या चाहते हैं। इससे परस्पर विरोधी हितों के बीच सामंजस्य बैठाना तथा शक्ति–संतुलन करना संभव होता है।

15.4.2 लोकतंत्र और संगठन

प्रायः सभी लोकतांत्रिक संविधानों में नागरिकों को संगठन बनाने का अधिकार अंकित होता है। भारतीय संविधान में भी इसे मौलिक अधिकार माना गया है। नागरिक अपने विविध ज़रूरतों को पूरा करने और अपने सामूहिक हित के लिए तरह–तरह के संगठन बनाते हैं जैसे – क्लब, स्व–सहायता समूह, सहकारी समूह, भाषा, जाति और धर्म के आधार पर समूह, व्यवसाय आधारित समूह जैसे – श्रमिक संगठन, अधिवक्ता या वकील संगठन, आदि। इस तरह के समूह किसी देश में कितनी मात्रा में बनते हैं और कितनी स्वतंत्रता के साथ काम करते हैं यह वहाँ के लोकतंत्र के स्वास्थ्य का परिचायक होता है। इनके माध्यम से लोग सक्रिय होते हैं और सामुदायिक जीवन को सदृढ़ करते हैं। शासन की भूमिका यहाँ इतना ही है कि वह यह सुनिश्चित करे कि ये संगठन कानून के दायरे में काम करें और सार्वजनिक हित को हानि न पहुँचाएँ। इस कारण इन संगठनों के पंजीकरण का प्रावधान है, लेकिन ऐसे संगठनों का पंजीकरण आवश्यक नहीं है जब तक वे इन्हें अनौपचारिक रखना चाहते हैं। उदाहरण के लिए हर गली मोहल्ले में युवा लोग खेल या उत्सव समितियाँ बनाते हैं जो पंजीकृत नहीं होते लेकिन अगर वह समिति संपत्ति खरीदना चाहती है या अन्य किसी प्रकार कानून के दायरे में आना चाहती है तो उसका पंजीकरण आवश्यक है। यहाँ हम कुछ संगठन के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरणों को समझेंगे।

15.4.3 ट्रेड यूनियन या मजदूर संघ

भारत में मजदूर संगठनों का इतिहास पुराना है। इनका निर्माण आज़ादी की लड़ाई के समय में ही किया गया था। कामगारों के वेतन, काम के घण्टे और काम के हालातों को लेकर संघर्ष करने और मालिकों से सामूहिक रूप से सौदा करने के लिए ये संघ बने। कई संगठन मजदूरों के स्व–सहायता व एक–दूसरे की सहायता के लिए भी बने। इन बिखरे हुए संगठनों को राष्ट्रीय स्तर पर साथ लाने के लिए कांग्रेस के नेतृत्व में 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन काँग्रेस की स्थापना की गई। स्वतंत्रता के बाद विभिन्न राजनैतिक दलों ने भी इस तरह के केन्द्रीय संगठन बनाए जैसे :–

(1) अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन काँग्रेस (All Indian Trade Union Congress)

(2) इण्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन काँग्रेस (Indian National Trade Union Congress)

(3) हिन्द मजदूर सभा (Hind Mazdoor Sabha)

(4) यूनाइटेड ट्रेड यूनियन काँग्रेस (United Trade Union Congress)

(5) सेंटर ऑफ इण्डियन ट्रेड यूनियनस् (Centre of Indian Trade Unions)

(6) भारतीय मजदूर संघ (BMS)

ये न केवल मज़दूरों के हित में मालिकों से संघर्ष और समझौते करते हैं बल्कि दबाव समूह के रूप में सरकारी नीतियों को भी प्रभावित करने का प्रयास करते हैं।

15.4.4 व्यावसायिक हित समूह

स्वतंत्रता के बाद व्यावसायिक हित समूहों की संख्या और गतिविधियों में काफी तेज़ी के साथ वृद्धि हुई। प्रायः सभी व्यवसायों के लोगों ने अपना अलग–अलग संगठन बना लिया। वकीलों, सरकारी कर्मचारियों, डॉक्टरों, शिक्षकों, इंजीनियरों आदि सभी वर्गों के संगठन भारत में पाए जाते हैं। अखिल भारतीय चिकित्सा परिषद् (All India Medical Council), अखिल भारतीय बार एसोसिएशन (All India Bar Association), अखिल भारतीय शिक्षक संघ (All India Teachers Federation) अखिल भारतीय डाक तार संघ (All India Post and Telegraphs Union) आदि भारत में प्रमुख व्यावसायिक संगठन हैं। यद्यपि व्यावसायिक संगठनों का उद्देश्य व्यवसाय के लोगों का कल्याण करना है फिर भी ये समुदाय राजनैतिक कार्यकलापों में काफी रुचि लेते हैं। इन समूहों के सदस्य सरकारी कानूनों के निर्माण की प्रक्रिया को अपने हितों के अनुकूल प्रभावित करने की कोशिश करते हैं।

15.4.5 जातीय एवं धार्मिक दबाव समूह

समय–समय पर विभिन्न धार्मिक, भाषाई और जातिगत समूह बने हैं जो अपने समुदाय के हित के लिए काम करते हैं। अक्सर ऐसे संगठन राजनैतिक रूप भी ले लेते हैं। भारत में कई साम्प्रदायिक दबाव समूहों ने राजनैतिक दल का रूप ले लिया है। इनमें रिपब्लिकन दल, मुस्लिम मजलिस, जमायते उलेमा, हिन्दू महासभा, शिरोमणि अकाली दल के नाम उल्लेखनीय हैं। धार्मिक हित समूहों में अखिल भारतीय ईसाई सम्मेलन, अखिल भारतीय पारसी सम्मेलन, आंग्ल भारतीय समुदाय, आर्य प्रतिनिधि सभा तथा सनातन धर्म, दक्षिणी सभा के नाम विशेष रूप से लिए जाते हैं। कई जातियों ने भी जाति–हितों की रक्षा के लिए अपना अलग–अलग संगठन बना लिया है, जैसे– मारवाड़ी संघ, ब्राह्मण सभा, वैश्य सभा, हरिजन सेवक संघ, दलित वर्ग संघ आदि। इनके अतिरिक्त शिक्षण संस्थाओं, खासकर विश्वविद्यालयों और छात्रावासों में असंगठित जातीय संगठन पाए जाते हैं। ये जातीय संगठन भी अप्रत्यक्ष रूप से खासकर चुनावों के समय स्थानीय राजनीति को प्रभावित करते हैं।

15.4.6 महिला संगठन – दबाव समूह के रूप में

भारत में अनेक महिला संगठनों ने महिलाओं के साथ होने वाले अन्याय, अत्याचार जैसे– वधू को जलाने, दहेज, संपत्ति पर अधिकार, बलात्कार, छेड़छाड़, घरेलू हिंसा, लिंग निर्धारण संबंधी परीक्षण,समान नागरिक संहिता के साथ–साथ राजनैतिक संस्थानों में अपने लिए आरक्षण को लेकर अनेक आंदोलन किए। महिलाओं के लिए लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण की माँग महिला दबाव समूहों की एक प्रमुख माँग रही है। संसद द्वारा हिन्दू कोड बिल पास कराने में भी महिला दबाव समूहों ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

आप जिस क्षेत्र में रहते हैं, वहाँ के कुछ महिला दबाव समूहों के बारे में लिखिए।

मजदूर संगठन या किसी व्यावसायिक संगठन के दफ्तर में जाकर उनके काम के बारे में पता करें और कक्षा में सबको बताएँ।

लोकतंत्र में संगठन बनाने का अधिकार क्यों ज़रूरी है, इस पर चर्चा करें।

15.5 मीडिया और जनसहभागिता

सूचनाओं, विचारों और भावनाओं को लिखित, मौखिक या दृश्य–श्रव्य माध्यमों के ज़रिए सफलतापूर्वक एक दूसरे तक पहुँचाना संचार है। इस प्रक्रिया को पूरा करने में मदद करने वाले साधन संचार माध्यम कहलाते हैं। जैसे– अखबार, टीवी, रेडियो, मोबाइल, इंटरनेट, सोशल साइट्स (फेसबुक, वाट्सअप, ट्विटर आदि), पत्रिकाएँ, सिनेमा आदि।

15.5.1 जनसहभागिता में मीडिया की भूमिका :–

संचार के माध्यम हमेशा से ही शासन में जनता की सहभागिता बढ़ाते रहे हैं लेकिन आज तकनीकी क्रांति के कारण संचार के माध्यमों का विकास तेज़ी के साथ हुआ है। साथ ही लोगों की संचार के साधनों तक पहुँच बढ़ रही है। तकनीक में सुधार के चलते आज देश–विदेश की खबरें हमारे लिए सहज उपलब्ध हो जाती है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज हम देख सकते हैं कि समाचार चेनलों की संख्या बढ़ती जा रही है। कहीं कोई भी घटना घटित होती है तो उसकी सूचना तुरंत इन समाचार चेनलों के माध्यम से हम तक उसी वक्त पहुँच जाती है।

इन संचार के साधनों ने शासन में लोगों की भागीदारी बहुत सहज ढंग से बढ़ाई है। संचार के ये साधन केवल सूचनाओं को पहुँचाने का कार्य ही नहीं कर रहे हैं बल्कि जनमत बनाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो गई है। अब लोग सरकार के किसी कार्य या किसी घटित घटना पर मीडिया की खबरों के आधार पर अपनी राय बना लेते हैं। साथ ही बहुत तेजी से अपनी राय लोगों तक भी पहुँचा देते हैं। हाल के ही दिनों में ऐसी अनेक घटनाएँ हमारे सामने आई हैं जिनमें मीडिया ने जनमत तैयार किया।

निर्भया काण्ड से सब लोग परिचित ही होंगे। दिल्ली में एक लड़की के साथ कुछ लड़कों ने अमानवीय हरकत की। मीडिया के माध्यम से लोगों तक जब यह बात पहुँची तो लोगों ने अपनी राय एक दूसरे से साझा करना प्रारंभ कर दी। बहुत जल्द इस घटना ने एक आंदोलन का रूप ले लिया। देश के अनेक हिस्सों में अपराधियों को सज़ा दिलवाने के लिए धरने–प्रदर्शन किए गए। लोगों द्वारा सरकार पर पुराने कानून की जगह नए कानून बनाने का दबाव बनाया गया। इस दबाव में सबसे महत्वपूर्ण योगदान मीडिया का था। लोगों का दबाव इतना अधिक था कि अंततः सरकार को पुराने कानून में बदलाव करते हुए ऐसे कृत्य करने वालों के खिलाफ सजा को और अधिक सख्त कर दिया गया। इस कानून के परिणाम स्वरूप अब यदि कोई 16 साल का लड़का किसी लड़की के साथ ऐसा अमानवीय हरकत करता है तो उसे वयस्कों की भांति सज़ा दी जा सकेगी।

इसी प्रकार 2011 में प्रारंभ हुए जनलोकपाल बिल के आंदोलन की व्यापकता पर भी मीडिया के प्रभाव को देखा जा सकता है। इस आंदोलन में आंदोलनकारियों ने जनलोकपाल बिल बनाने के लिए मीडिया का बेहतर ढंग से उपयोग किया था। मीडिया के माध्यम से ये लोग अपनी बात लोगों तक आसान और प्रभावी ढंग से पहुँचा पाए और इसी कारण लोगों का बड़ी संख्या में आंदोलन को सहयोग प्राप्त हो सका।

इस प्रकार बदलते हुए समाज की ज़रूरतों के अनुसार मीडिया ने लोगों को शासन में भागीदारी के नए अवसर और नए विकल्प उपलब्ध करवाए हैं। शासन में जन–सहभागिता बनाने में मीडिया एवं संचार के माध्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका है।

दूसरी तरफ मीडिया के कुछ खतरे भी हैं। मीडिया या तो सरकार के या बहुत धनी कंपनियों के हाथों में होती है। ये अपने निहित स्वार्थ या संकुचित हित के लिए अपने चैनल या पत्रिका का उपयोग कर सकते

हैं। आमतौर पर मीडिया में काम करने वाले पत्रकार आदि शहरी मध्यम वर्ग के होते हैं जो गरीब या ग्रामीण अंचल के लोगों की समस्याओं को अनदेखा कर सकते हैं। अगर मीडिया किसी खबर को गलत ढंग से लोगों तक पहुँचाती है, तो लोग उसके प्रभाव में आ सकते हैं। राजनैतिक दल, दबाव समूह और अन्य संगठन अपने मत के प्रचार के लिए ऐसा कर सकते हैं। इसलिए मीडिया को इस बात को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। मीडिया की हमेशा सकारात्मक पहल होनी चाहिए ताकि लोकतंत्र में उसकी भूमिका बढ़ती रहे।

चर्चा कीजिए :–

आपके क्षेत्र में घटित ऐसी घटनाओं की सूची तैयार कीजिए जिसमें मीडिया की वजह से लोगों ने सरकार से कोई माँग की हो।

मीडिया के फायदे अधिक हैं या नुकसान अधिक हैं? अपने विचार दीजिए।

आपके जीवन को मीडिया ने किस तरह से प्रभावित किया है? ऐसी कम–से–कम दो घटनाओं की पहचान कीजिए।

ऐसे प्रभाव जो मीडिया की वजह से आपके जीवन में आए हों वे क्या हैं? आप उनके लिए मीडिया को क्यों ज़िम्मेदार मानते हैं?

इस अध्याय में हमने लोकतंत्र में जन–सहभागिता के बारे में जाना। हमने देखा कि जन–सहभागिता लोकतंत्र की सफलता के लिए ज़रूरी है। भारत के संदर्भ में हमने यह भी देखा कि जन–सहभागिता के बहुत से तरीके संविधान में ही दे दिए गए हैं लेकिन संविधान के बाहर भी ऐसे बहुत से साधन हैं जिनसे लोग शासन में अप्रत्यक्ष ढंग से सहभागिता करते हैं। दबाव समूह और मीडिया ऐसे ही साधनों में से महत्वपूर्ण साधन हैं जिनकी व्यवस्था संविधान में नहीं की गई थी। किसी लोकतांत्रिक देश के लिए यह आवश्यक है कि सरकार में लोगों की सहभागिता के नए अवसर बनते रहें ताकि लोकतंत्र और अधिक मज़बूत होता रहे।

YRCZIP

अभ्यास

प्रश्न 1 खाली स्थान की पूर्ति कीजिए :–

1. भारत में.....लोकतंत्र को अपनाया गया है।
2. भारत में वयस्क मताधिकार.....वर्ष की आयु पूर्ण होने पर प्राप्त होता है।
3. राजनैतिक दल.....आधारित औपचारिक संगठन है।
4. चुनाव के लिए राजनैतिक दलों का पंजीकरण.....संस्था में होता है।
5. भारत में लोकतंत्र की स्थापना के लिए चुनाव कराने का कार्य.....करता है।
6. राष्ट्रपति संसद में लोकसभा में.....वर्ग के 2 सदस्यों का मनोनयन कर सकते है।
7. भारत में.....मतदान का अधिकार है।
8. संसद में महिला सांसदों का सर्वाधिक प्रतिशत.....देश में है।
9. राजनैतिक दलों से घनिष्ठ संबंध वाले समूह.....संगठन कहलाते हैं।
10. हिन्दू कोड बिल पारित कराने में.....दबाव समूह की भूमिका थी।

प्रश्न 2 बहुविकल्पों में से सही विकल्प का चयन कर लिखिए :–

1. भारत में किसी व्यक्ति का मताधिकार कब समाप्त हो सकता है?

   1. कोई व्यक्ति 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो।
   2. भारत का नागरिक हो।
   3. न्यायालय द्वारा अयोग्य घोषित किया गया हो।
   4. मतदाता सूची में नाम न हो।

2. निर्भया काण्ड के परिणामस्वरूप 16 वर्ष की अवस्था के बच्चों को वयस्कों की भाँति सज़ा का प्रावधान दिलवाने में किसकी महती भूमिका रही है?

   1. जन आंदोलन
   2. मीडिया
   3. सरकार
   4. उनके परिवार

3. मतदान की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन में की गई?

   1. 52वाँ
   2. 61वाँ
   3. 86वाँ
   4. 92वाँ

4. भारतीय संसद में महिला प्रतिनिधित्व सर्वाधिक रहा –

   1. सन् 1957 में
   2. सन् 1989 में
   3. सन् 1999 में
   4. सन् 2013 में

5. लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है –

   1. 84
   2. 47
   3. 48
   4. 74

6. महिलाओं को 33 से लेकर 50 प्रतिशत तक आरक्षण राजनैतिक संस्थाओं में प्राप्त हुआ है –

   1. स्थानीय निकाय
   2. विधानसभा
   3. संसद
   4. ग्राम पंचायत

7. किस प्रकरण पर मीडिया द्वारा सरकार से अत्यधिक चर्चा रूपी आंदोलन से 16 आयु वर्ग के बच्चों के लिए वयस्कों की भाँति दण्ड का कानून बनाया गया?

   1. निर्भया काण्ड
   2. भाषा विवाद
   3. महिला आरक्षण
   4. जनलोकपाल

8. लोकतंत्र में जन–सहभागिता का सर्वाधिक अनिवार्य माध्यम है –

   1. मतदान
   2. आंदोलन
   3. योजनाओं के क्रियान्वयन का निरीक्षण
   4. संचार माध्यम

9. लोकतंत्र में राजनैतिक दल का मुख्य कार्य है –

   1. चुनाव
   2. आंदोलन
   3. सत्ता प्राप्त करना
   4. जनमत का निर्माण

10. व्यावसायिक हित समूह के अंतर्गत आते हैं :–

    1. डॉक्टर, शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारियों के वर्ग का समूह
    2. जनजाति या जातिगत समूह/समाज
    3. साम्प्रदायिक या धार्मिक समूह
    4. महिला संगठन

प्रश्न 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए –

1. सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किसे कहते हैं?
2. राजनैतिक दलों का मुख्य उद्देश्य क्या है?
3. भारत में मतदाताओं की जनसंख्या में वृद्धि का मुख्य कारण क्या है?
4. मतदान व्यवहार का आशय समझाइए।
5. मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले तत्व कौन–कौन से हैं?
6. लोकतंत्र में मतदान के अतिरिक्त जन–सहभागिता के कौन–कौन से माध्यम हैं और क्या–क्या हो सकते हैं?
7. भारत में जनप्रतिनिधित्व के कोई 6 मुख्य राजनैतिक संस्थाओं के नाम लिखिए।
8. दबाव समूह एवं राजनैतिक दल में मुख्य अंतर बताइए जिससे उनकी पहचान की जा सकती है।
9. संचार के माध्यम कौन–कौन से हैं?
10. राजनैतिक दल को सरकार बनाने का अधिकार किस शर्त पर प्राप्त होता है?
11. भारत में मतदाताओं की संख्या में वृद्धि का मुख्य कारण लिखिए।
12. लोकतंत्र में जनसहभागिता को समझाइए।
13. दबाव समूह एवं राजनैतिक दल में क्या अंतर है?
14. भारत में मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष क्यों की गई?
15. मतदाता किन–किन कारणों से मतदान करने नहीं जाते हैं?
16. दर्ज मतदाताओं की संख्या और मतदान करने वाले लोगों की संख्या में अधिक अंतर होता है, क्यों?
17. राजनैतिक दल व दबाव समूह की विशेषताएँ लिखिए।
18. क्या कारण है कि स्थानीय निकाय के चुनाव में मतदान प्रतिशत 100 तक भी हो जाता है जबकि विधानसभा एवं लोकसभा चुनाव में जन–सहभागिता 50 प्रतिशत के आसपास होती है।

21. सन् 1984 में कर्नाटक में घटित किटिखो–हच्चिको' आंदोलन ने किस प्रकार शासन को किसानों के पक्ष में निर्णय के लिए दबाव बनाया ? इस घटना के प्रभाव का उल्लेख कीजिए।
22. सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार न हो तब लोकतंत्र में सहभागिता किस प्रकार प्रभावित होगी?
23. मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले तत्व कौन–कौन से हैं?
24. किस दबाव समूह का शासन व राजनैतिक दलों में सर्वाधिक प्रभाव है? चर्चा करें।

परियोजना कार्य

अपने ज़िले या राज्य के दबाव समूह की सूची बनाइए और उनमें से किसी एक के काम के बारे में विस्तार से बताइए।